राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 को 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री हेमन्त गेरा द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी। सर्वप्रथम सचिव महोदया द्वारा संबोधित करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया।

बैठक में निम्नांकित अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्रीमती रेखा भास्कर	वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी
2	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
3	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
4	श्री एस. के. सिंघल	मुख्य अभियंता, मुख्यालय राज.आवासन मण्डल
5	डॉ. प्रभा व्यास	सम्पदा प्रबन्धक, भूमि, राज॰आवा॰मण्डल
6	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि), राज॰आवा॰मण्डल
7	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
8	श्री सीताराम बरी	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
9	श्री एम.सी. उपाध्याय	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय
10	श्री अनिल माथुर	वरि. नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल
11	श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जनसम्पर्क अधिकारी (पी.आर.)

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
239.1	दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 238वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 238वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
239.2	दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 238वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	विचार–विमर्श उपरान्त दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 238वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकन किया गया।	Secretary

239.3	वाणिज्यिक भूमि की आरक्षित दर, आवासीय भूमि की आरक्षित दर से 04 गुणा के स्थान पर 02 गुणा निर्धारित करने बाबत्।	इसी बैठक में इस प्रकृति से संबंधित अन्य बिन्दु रखा गया है, अतः इस बिन्दु को विड्रा किया गया।	FA
239.4	आवासीय भूखण्ड की आरक्षित दर 2.25 गुणा के स्थान पर 1.50 गुणा करने के संबंध मे।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के (भू–पट्टी) आवंटन पर दर आरक्षित दर की दो गुणा करने का निर्णय लिया गया तथा 25 प्रतिशत उपरी व्यय वसूल नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। एम.बी.पी. निर्धारत करने के उद्देश्य से आवासीय भूखण्ड की दर आरक्षित दर की 1.50 गुणा करने का निर्णय लिया गया । साथ ही लीजमनी निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार त्रिसदस्य कमेटी गठन किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी 2. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक 3. मुख्य अभियंता, मुख्यालय उक्त कमेटी जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये लीजमनी ऑकलन के संबंध में अपनी रिपोर्ट आगामी संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करेगी। विशेष रूप से यह बिन्दु भी देखेगी कि संस्थानिक भूखण्डों पर भी व्यवसायिक भूखण्डों के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से लीज वसूली किया जाना उचित है अथवा आवासीय के अनुरूप 2.5 प्रतिशत की दर से।	FA
239.5	बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता के संबंध में विश्लेषण कर अवगत कराया जाऐ।	FA
239.6	राजस्थान आवासन मण्डल की भिवाडी शहर में स्थित अरावली विहार आवासीय योजना एवं बाबा मोहन राम एन्क्लेव योजना मध्यम आय वर्ग 'अ' के फ्लैट्स में दी जाने वाली छूट में संशोधन करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

239.7	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर सेक्टर 28 स्थित सतलुज अपार्टमेन्ट के खण्ड–पंचम के अधीन अल्प आय वर्ग (जी+3) के 18 फ्लैट्स (भूतल) का छूट स्लैब 0–25 प्रतिशत के स्थान पर 0–50 प्रतिशत पर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की प्रदान स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
239.8	राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर स्थित विध्याचल अपार्टमेन्ट, गुरुशिखर अपार्टमेन्ट, शिवालिक अपार्टमेन्ट ब्लॉक–सी व डी, नीलगिरी अपार्टमेन्ट, नीलकण्ठ अपार्टमेन्ट ब्लॉक–बी व सी तथा अरावली अपार्टमेन्ट के अधिशेष फ्लैट्स का छूट स्लैब 0–25 प्रतिशत के स्थान पर छूट स्लैब 0–50 प्रतिशत पर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की प्रदान स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
239.9	इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर में एसबीआर तकनीकी पर आधारित 3.0 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. के निर्माण कार्य की राशि रुपये 1170.40 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति एवं कार्य विभाजन के प्रस्ताव का अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही एस.टी.पी. निर्माण के कम्पोनेन्ट पर व्यय की जाने वाली राशि तथा ए. एण्ड एफ. में सम्मिलित राशि के संबंध में विश्लेषणामक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	CE-I
239.10	मकान सं. 4–A–12 (plinth level) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर स्केल्टन आवास पर निर्माण कार्यपूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक शुल्क वसूल करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मकान सं. 4–A–12 (plinth level) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर स्केल्टन आवास पर निर्माण कार्यपूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक शुल्क वसूल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस संबंध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में हुये निर्णयानुसार दिनांक 30.11.2019 तक प्राप्त प्रकरणों में (संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये बिना) संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा तदनुरूप कार्यवाही की जाऐ।	CEM

239.11	मकान सं. 6–F–252 (plinth level) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर स्केल्टन आवास पर निर्माण कार्यपूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक शुल्क वसूल करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मकान सं. 6–F–252 (plinth level) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर स्केल्टन आवास पर निर्माण कार्यपूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक शुल्क वसूल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस संबंध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में हुये निर्णयानुसार दिनांक 30.11.2019 तक प्राप्त प्रकरणों में (संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये बिना) संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा तद्नुरूप कार्यवाही की जाऐ।	CEM
239.12	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में स्थित झूलेलाल मार्केट में उपलब्ध निर्मित 325 (बेसमेन्ट–103, भूतल–59, प्रथम तल–163) दुकानों में से 250 दुकानों (बेसमेन्ट व प्रथम तल) को वर्ष 2014–15 की आरक्षित दर स्थिर कर 5 वर्ष की मासिक किश्तों पर तिब्बितीयन रिफ्यूजी होजरी रेडीमेड सेलर यूनियन के सदस्यों को लॉटरी द्वारा आवंटन करने एवं योजना की शेष समस्त दुकानों को वर्ष 2014–15 की आरक्षित दर स्थिर कर खुली बिक्री योजना द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्ताव में अंकित 250 दुकानों की संख्या में संशोधन करते हुये 250 दुकानों के स्थान पर 266 दुकानों के निस्तारण की स्वीकृति प्रस्तावानुसार प्रदान की गई। प्रस्तावानुसार योजना की शेष समस्त दुकानों को वर्ष 2014–15 की आरक्षित दर स्थिर कर खुली बिक्री योजना द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	CEM
239.13	परिचलन से पारित प्रस्ताव संख्या 246/2019 के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
239.14	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2018–19 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2018–19 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
239.15	मनिपाल हैल्थ सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड की जमा राशि में की जाने वाली कटौती के बारे में निर्णय एवं साथ ही निरस्तीकरण का अनुमोदन देने बाबत्।	मनिपाल हैल्थ सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड की जमा राशि में से 25 प्रतिशत (10 प्रतिशत मण्डल व 15 प्रतिशत नगर निगम का हिस्सा) कटौती कर शेष जमा राशि (बिना ब्याज) लौटाने एवं आवंटित भूमि मंडल हित में समर्पित कराने के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	CEM
239.16	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाये जाने बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाये जाने बाबत स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव शीघ्र राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	DL

239.17	राजस्थान आवासन मण्डल में उद्यानिकी शाखा (Horticulture wing) गठित किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल में उद्यानिकी शाखा (Horticulture wing) गठित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि इस शाखा हेतु जितने पद सृजित किये जाने है उतने ही मण्डल में उपलब्ध रिक्त पद इस शाखा के पदो के विरूद्ध परिवर्तित किये जाये तथा प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।	CE-I
239.18	मण्डल द्वारा ई–ऑक्शन का कार्य आनलाईन करवाने के संबंध में विभिन्न कार्य करवाने की स्वीकृति।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा ई–ऑक्शन का कार्य आनलाईन करवाने के संबंध में कराये गऐ विभिन्न कार्यो के विरूद्ध प्रस्तावानुसार भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	SA
239.19	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, सेक्टर–23 स्थित व्यावसायिक भूखण्ड 'ई' मानसरोवर योजना के वी.टी. रोड स्थित वाणिज्यिक पट्टी 'बी' मे स्थित शोपिंग सेन्टर प्लॉट 'जी' में जयपुर चौपाटी तथा फाउण्टेन एवं रीक्रिऐशनल प्लाजा हेतु आरक्षित स्थल के सौन्दर्यकरण व महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, नायला, जयपुर में एम्पीथिएटर, फूड कोर्ट (जयपुर चौपाटी), बस–स्टेण्ड व प्रदर्शनी स्थल के निर्माण एवं विकास कार्य के परियोजनाओं के क्रियान्वयन बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
239.20	मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु अधिकृत निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में सी.जी.एच.एस. (Central Govt. Health Scheme) लागू करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु अधिकृत निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में सी.जी.एच.एस.(Central Govt. Health Scheme) लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
239.21	सामान्य भविष्य निधि की जमा एवं आहरण राशियों पर ब्याज दर में परिवर्तन के संबंध में।	सामान्य भविष्य निधि की जमा एवं आहरण राशियों पर ब्याज दर में परिवर्तन के संबंधमें प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
239.22	मण्डल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को बोर्ड बैठक से अनुमोदन करवाये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव Deffer किया गया तथा इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सचिव, मुख्य अभियंता(मुख्यालय) एवं संबंधित क्षेत्र के उप आवासन आयुक्त की कमेटी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा जयपुर से बाहर के क्षेत्र हेतु संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित उप आवासन आयुक्त की कमेटी होगी।	Secretary

239.23	राजस्थान आवासन मण्डल की बोर्ड बैठक में परियोजना समिति की 143वीं से 157वीं तक की बैठक में लिये गए निर्णयों का अवलोकन एवं पुष्टि करवाये जाने बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन समितियों के अध्यक्ष मण्डल अध्यक्ष है उन समितियों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि संचालक मण्डल से कराने की आवश्यकता नहीं है तथा जिन समितियों के अध्यक्ष अन्य है उन समितियों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि संचालक मण्डल से कराई जाऐ।	ACTP
239.24	दस्तकार नगर योजना, ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में निर्मित इकाईयों (कार्यशाला मय आवासों) की लागत 14.99 लाख रुपये निर्धारित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
239.25	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर–16 स्थित डिस्ट्रिक्ट सेन्टर हेतु आरक्षित भूखण्ड पर कोचिंग हब के निर्माण एवं विकास कार्य के परियोजना का क्रियान्वयन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर–16 स्थित डिस्ट्रिक्ट सेन्टर हेतु आरक्षित भूखण्ड पर कोचिंग हब के निर्माण एवं विकास कार्य के परियोजना का क्रियान्वयन बाबत स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
239.26	मण्डल की आवासीय योजनाओं के प्रमुख स्थानों पर अवस्थित एवं दीर्घकाल से अनिस्तारित वाणिज्यिक भूमि के निस्तारण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन एवं विपणन शाखा (Marketing Cell) का गठन बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त रेपसार एक्ट एवं आर.टी.पी.पी. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल की आवासीय योजनाओं के प्रमुख स्थानों पर अवस्थित एवं दीर्घकाल से अनिस्तारित वाणिज्यिक भूमि के निस्तारण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन एवं विपणन शाखा (Marketing Cell) का गठन प्रस्तावानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
239.27	अनिस्तारित आवास/फ्लैटस की लागत में छूट हेतु प्रस्ताव।	प्रस्तावानुसार अनिस्तारित आवास/फ्लैटस की लागत में छूट हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-HQ

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

239.28	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–ऑक्शन में निस्तारण के पश्चात् शेष तथा उपलब्ध अन्य अधिशेष आवासों/फ्लेट्स का सीलबन्द नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् ई–ऑक्शन की लिमिटेशन को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–ऑक्शन में निस्तारण के पश्चात् शेष तथा उपलब्ध अन्य अधिशेष आवासों/ फ्लेट्स का सीलबन्द नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में प्रक्रिया एवं दिन –प्रतिदिन की कार्यवाही का निर्धारण आयुक्त स्तर पर कर लिया जावे।	CE-HQ

239.29	भूखण्ड संख्या P–30, राज आंगन योजना, प्रताप नगर, जयपुर पर निर्मित भवन को तोड़कर पुनः भवन का निर्माण करने हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श किया गया तथा एन.आर.आई. के आवेदकों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गयाः– 1. मुख्य नगर नियोजक 2. संयुक्त शासन सचिव, राज.सरकार 3. सचिव, राज. आवासन मण्डल 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, रा.आ.मं. 5. संबंधित उप आवासन आयुक्त	ACTP
239.30	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम सिरोली, जयपुर हेतु अवाप्तशुदा भूमि जो Master Plan-2025 में जन सुविधा , संस्थानिक, व्यावसायिक एवं हरित पट्टी हेतु आरक्षित है उसे आवासीय प्रयोजनार्थ करने के संबंध में।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	ACTP
239.31	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियोजित वाणिज्यिक भूमि के निस्तारण के लिए न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया के अनुमोदन बाबत।	प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियोजित वाणिज्यिक भूमि के निस्तारण के लिए न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।	ACE-I/ FA
239.32	प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक/प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर 26ए जोन 266, प्रताप नगर योजना, जयपुर में मध्यम आय वर्ग "अ" के बहुमंजिले फ्लेट्स के निर्माण की योजना की क्रियान्विति एवं केवल उक्त पंजीकरण योजना हेतु मण्डल के लागत सिद्धान्तों के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर ओ.डी.सी. व सी.ई.आर. शुल्क को शून्य एवं प्रशासनिक शुल्क को 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत पर लिये जाने के प्रस्ताव अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुवार प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक/ प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर 26ए जोन 266, प्रताप नगर योजना, जयपुर में मध्यम आय वर्ग "अ" के बहुमंजिले फ्लेट्स के निर्माण की योजना की क्रियान्विति एवं केवल उक्त पंजीकरण योजना हेतु मण्डल के लागत सिद्धान्तों के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर ओ.डी.सी. व सी.ई.आर. शुल्क को शून्य एवं प्रशासनिक शुल्क को 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत पर लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	ACE-I/

बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को निर्देश प्रदान किये कि स्पोर्ट्स कॉउन्सिल से सम्पर्क कर डिपॉजिट वर्क्स प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जाए तथा अन्य संस्थाओं से भी डिपॉजिट कार्य प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाएे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव